राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 52/2022 अपील

भंवरी बाई पत्नी शंकर लाल राजपूत निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलियां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम
विरुद्ध नामान्तकरण सं. 315 दिनांक 19.05.1990 तहसीलदार बिजौलियां

उपस्थित –

1. श्री राकेश चौहान अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. राजकीय अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक 23.06.2023

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अंतर्गत धारा 75 लैण्ड रेवन्यु एक्ट विरूद्व तहसीलदार बिजौलिया के नामान्तरकरण संख्या 315 निर्णय दिनांक 19.05.1990 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी की कृषि भूमि ग्राम केशुविलास पटवार हल्का जावदा तहसील बिजौलियां के आराजी सं. 147 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा स्थित है। अपीलार्थी को उक्त भूमि आवंटन दिनांक 19.05.1989 आवंटन मिसल सं. 251/89 जरिये आवंटीत हुई जिस पर आवंटन के समय से ही कब्जा काश्त करती चली आ रही है। आवंटन के आदेश अनुसरण में अपीलार्थी के नाम पर उक्त आराजी में खोले गये नामान्तकरण सं. 315 दिनांक 19.05.1990 में तत्कालीन अतिरिक्त तहसीलदार (वर्तमान में तहसीलदार पद) बिजौलियां द्वारा अपीलार्थी का नाम गलती से भंवरी बाई पत्नी भवंरलाल जाति राजपूत निवासी कर दिया। जबकि आवंटन प्रार्थना पत्र की सम्पूर्ण पत्रावली व अन्य रेकार्ड के अनुसार अपीलार्थी का नाम भंवरी बाई पत्नी शंकर लाल जाति राजपूत निवासी बिजौलियां है । परन्तु राजस्व कर्मचारीयो/ अधिकारियों की गलती से उक्त नाम भंवरी बाई पत्नी शंकर लाल की जगह भंवरी बाई पत्नी भंवर लाल हो गया है। जिसको दुरूस्त कर भंवरी बाई पत्नी शंकर लाल जाति राजपूत निवासी बिजौनिया किया जाना आवश्यक है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बिजौलियां द्वारा उक्त प्रकरण में उचित जांच नहीं की गई एवं न ही अपीलार्थी के बयान लेखबद्व किये गये व न ही अपीलार्थी के दस्तावेज प्राप्त किये गये। गलत तरीके से राजस्व रेकार्ड में अपीलार्थी के पति का नाम शंकर लाल की जगह

।वदा तहसील बिजौलियां के आराजी सं. 147 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा स्थित है। अपीलार्थी को उक्त भूमि आवंटन दिनांक 19.05.1989 आवंटन मिसल सं. 251/89 जरिये आवंटीत हुई जिस पर आवंटन के समय से ही कब्जा काश्त करती चली आ रही है। आवंटन के आदेश अनुसरण में अपीलार्थी के नाम पर उक्त आराजी में खोले गये नामान्तकरण सं. 315 दिनांक 19.05.1990 में तत्कालीन अतिरिक्त तहसीलदार (वर्तमान में तहसीलदार पद) बिजौलियां द्वारा अपीलार्थी का नाम गलती से भंवरी बाई पत्नी भवंरलाल जाति राजपूत निवासी कर दिया। जबकि आवंटन प्रार्थना पत्र की सम्पूर्ण पत्रावली व अन्य रेकार्ड के अनुसार अपीलार्थी का नाम भंवरी बाई पत्नी शंकर लाल जाति राजपूत निवासी बिजौलियां है । परन्तु राजस्व कर्मचारीयो/- अधिकारियों की गलती से उक्त नाम भंवरी बाई पत्नी शंकर लाल की जगह भंवरी बाई पत्नी भंवर लाल हो गया है। जिसको दुरूस्त कर भंवरी बाई पत्नी शंकर लाल जाति राजपूत निवासी बिजौनिया किया जाना आवश्यक है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन करने में रही त्रुटि के कारण अपीलार्थी को कई समस्यो का सामना करना पड़ रहा है तथा अपने खातेदार अधिकार से सम्बन्धित अपने विधि अधिकारों का समुचित उपयोग करने में परेशानी उत्पन्न हो रही है। निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय के नामान्तरकण स. 315 दिनांक 19.05.1990 को निरस्त कर अपीलार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में भंवरी बाई पत्नि भंवरलाल राजपूत की जगह भंवरी बाई पत्नि शंकर लाल जाति राजपूत किये जाने आदेश प्रदान करने की कृपा करावें।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थी को आवंटन के संबंध में आवंटी के समस्त दस्तावेजात अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने चाहिये थे। अधीनस्थ न्यायालय ने सही तौर निर्णय पारित किया हैं जिसमे कोई त्रुटि नहीं है। फिर भी कोई संशय हो तो प्रकरण रिमाण्ड करने पर पुनः जांच कर नये सिरे से निर्णय नियमानुसार किया जा सकेगा। निवेदन हैं कि अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया गया कि, अपीलार्थी भंवरी बाई को आंवटन कमेटी द्वारा 19.5.89 को जो आवंटन किया गया था उसमें आवंटी का नाम भंवरी बाई पत्नी भंवरलाल राजपूत निवासी बिजौलिया कलां स्पष्ट रूप से अंकित हैं। पटवार हल्का द्वारा भंवरलाल को शंकरलाल समझ भंवरी बाई पत्नी शंकरलाल के नामान्तरकरण बाबत् जो रिपार्ट तहसीलदार को प्रेषित की हैं एवं तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट आधार पर एवं आवंटन दस्तावेजात

बिना पूर्ण परीक्षण जो नामान्तरकरण 315 पारित किया वह पूर्ण रूप से विधि विरूद्व प्रतीत होता हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के नामान्तरकरण संख्या 315 दिनांकित 19.5.1990 को अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार बिजौलिया को रिमाण्ड किया जाकर निर्देशित किया जाना उचित ठहरता हैं कि प्ररकण में भंवरी बाई पत्नी शंकरलाल राजपूत से संबंधित रिकार्ड की सम्पूर्ण जांच कर एवं इनसे संबंधित समस्त दस्तावेजात का पूर्ण परीक्षण किया जाकर अजसिरे निर्णय पारित किया जाये। उक्तानुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपील स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय के नामान्तरकरण संख्या 315 दिनांकित 19.5.1990 को अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार बिजौलिया को रिमाण्ड किया जाकर निर्देशित किया जाता हैं कि प्ररकण में भंवरी बाई पत्नी शंकरलाल राजपूत से संबंधित रिकार्ड की सम्पूर्ण जांच कर एवं इनसे संबंधित समस्त दस्तावेजात का पूर्ण परीक्षण किया जाकर अजसिरे निर्णय पारित किया जाये। निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बिजौलिया को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)